FIRST INFORMATION REPORT (ZERO FIR)
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट(ज़ीरो प्र.सू.रि.)
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** राजपुर **Year (वर्ष):** 2026

ZERO FIR No. (ज़ीरो प्र.सू.रि. सं.): 004 **Date and Time of ZERO FIR (ज़ीरो प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 25/11/2026 18:46 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66C
2	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66D
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	356(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	79

3. **(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): **Date (दिनांक):** 25/11/2026 **Time (समय):** 18:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 041 **Date and Time (दिनांक और समय):** 25/11/2026 18:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): प्रेस क्लब, कोतवाली नगर, जनपद हरिद्वार,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) Name (नाम): श्रीमती सोनी देवी

(b) Husband's Name (पतिका नाम): श्री वीरेन्द्र सिंह भण्डारी

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1981 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	देहरादून, राजपुर, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	देहरादून, राजपुर, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9720081348

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	विनोद आर्य			1. अज्ञात,राजपुर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत	1. अज्ञात,राजपुर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत
2	अधिवक्ता अनुज पुण्डीर			1. अज्ञात,राजपुर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत	1. अज्ञात,राजपुर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल तहरीर हिन्दी वादिनी टाईपशुदा- सेवा में,

थाना प्रभारी महोदय,

राजपुर रोड थाना देहरादून उत्तराखण्ड।

विषयः स्वर्गीय अंकिता भण्डारी की निजी एवं व्यक्तिगत WhatsApp चैट को सार्वजनिक माध्यम से प्रसारित कर उनकी मृत्योपरान्त गरिमा, निजता एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने तथा उनके परिवार की भावनाओं को आहत करने के संबंध में श्री विनोद आर्य और अधिवक्ता अनुज पुंढिर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिनी स्वर्गीय अंकिता भण्डारी की माता है। प्रार्थिनी की पुत्री अंकिता भण्डारी की निर्मम हत्या अभियुक्तगण पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर एवं अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता द्वारा की गई थी। उक्त जघन्य अपराध के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सत्र परीक्षण संख्या 01/2023, राज्य बनाम पुलकित आर्य एवं अन्य का विचारण माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में सम्पन्न हुआ तथा दिनांक 30 मई 2025 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया। उक्त आपराधिक प्रकरण के विवेचन के दौरान विवेचक द्वारा मृतका अंकिता भण्डारी एवं उनके मित्र पुष्पदीप के मध्य हुई WhatsApp चैट्स को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में संकलित किया गया था। उक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अभियुक्तगण के बचाव पक्ष को भी उपलब्ध कराये गये थे। इन चैट्स में कुछ ऐसी व्यक्तिगत एवं अत्यन्त निजी बातचीत भी सम्मिलित थी, जो मृतका अंकिता भण्डारी एवं उनके मित्र पुष्पदीप के मध्य पूर्णतः व्यक्तिगत विश्वास एवं निजता के दायरे में हुई थी.

उक्त सत्र परीक्षण के विचारण के दौरान अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मृतका एवं उनके मित्र पुष्पदीप के मध्य हुई उन्हीं निजी WhatsApp चैट्स के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्षियों से प्रश्न पूछने का प्रयास किया गया था। किन्तु माननीय विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्नों को अप्रासंगिक एवं मृतका की व्यक्तिगत गरिमा तथा निजता से संबंधित मानते हुए उन पर आपत्ति स्वीकार की गई तथा ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान नहीं

की गई।

तत्पश्चात उक्त कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के समक्ष भी विषय विचारार्थ आया, जहाँ भी उक्त निजी चैट्स के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को प्रासंगिक नहीं माना गया तथा मृतका अंकिता भण्डारी एवं उनके मित्र पुष्पदीप की निजता एवं गरिमा के अधिकार के प्रतिकूल माना गया। इस प्रकार न्यायिक कार्यवाही के दौरान भी उक्त निजी बातचीत की संवेदनशीलता एवं उसके व्यक्तिगत स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई थी।

अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण एवं निन्दनीय है कि उक्त न्यायिक निर्णय के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात, जबकि अभियुक्त पुलकित आर्य की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में अभी भी विचाराधीन है, अभियुक्त पुलकित आर्य के पिता श्री विनोद आर्य और अधिवक्ता अनुज पुंदिर द्वारा मीडिया के समक्ष मृतका अंकिता भण्डारी एवं उनके मित्र पुष्पदीप की उक्त निजी WhatsApp चैट्स को सार्वजनिक रूप से प्रसारित/प्रदर्शित किया गया है। श्री विनोद आर्य द्वारा किया गया उक्त कृत्य अत्यन्त गंभीर, आपत्तिजनक एवं निन्दनीय है। जिन

निजी चैट्स को माननीय न्यायालय द्वारा भी मृतका की निजता एवं गरिमा से संबंधित मानते हुए विचारण के दौरान अप्रासंगिक माना गया था, उन्हें इस प्रकार सार्वजनिक करना मृतका की मृत्योपरान्त गरिमा एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाला कृत्य है। इससे न केवल मृतका की स्मृति एवं सम्मान को अपमानित किया गया है, बल्कि प्रार्थिनी एवं मृतका के समस्त परिवार को भी गहरा मानसिक आघात पहुँचा है तथा उनकी भावनाएँ आहत हुई हैं।

किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने मात्र से उसकी व्यक्तिगत गरिमा, प्रतिष्ठा एवं निजता के प्रति सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता। विशेषकर तब, जब किसी व्यक्ति की निजी बातचीत को उसके जीवनकाल में व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किया गया हो और उस बातचीत को सार्वजनिक करने की कोई वैधानिक अथवा न्यायोचित आवश्यकता न हो। उक्त निजी चैट्स को मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करने से मृतका की छवि को अनुचित रूप से प्रस्तुत करने तथा उसके परिवार की भावनाओं को आहत करने की गंभीर आशंका एवं परिणाम उत्पन्न हुए हैं।

अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि

प्रार्थिनी के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर श्री विनोद आर्य, पिता अभियुक्त पुलकित आर्य और अधिवक्ता अनुज पुंढिर के विरुद्ध उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा सूचना प्रौ द्योगिकी अधिनियम,2000 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने की कृपा करें।

दिनांक: 22/11/2026

स्थानः देहरादून

वीरेन्द्र सिंह भण्डारी पिता अंकिता भण्डारी

सोनी देवी माता अंकिता भण्डारी
फो0न0- 9720081348, 8958300957
नोटः- मैं कानि0 प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर वादिनी को संगणक पर शब्द व शब्द टाईप किया गया है। का0 17.32 ना0पु0 मोहन सिंह राणा थाना राजपुर जनपद देहरादून दिनांक 25.11.2026

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): कोतवाली हरिद्वार District (ज़िला): हरिद्वार

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): P D Bhatt

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): NA

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1981				चेचक: नहीं
2	पुरुष	1981				चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)